

13/11/18

वकील अपीलान्त श्री युन्नीलाल राजपुरोहित
 उपास्थित रेकॉ. सं. 1 के अधिका उपास्थित
 वकील अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया
 कि वह उक्त विचाराधीन अपील को
 आगे नहीं चलाना चाहते हैं और
 अपील नोट बैस में खारिज फुलमार्
 पारने वकील अपीलान्त के निवेदन पर
 अपील परिये नोट बैस खारिज की
 पाली है। पत्रावली फुसल बुमार होकर
 बाद आवेद्यु कार्यकी डाखिल दफ्तर
 होकर नम्बर से उम हो।

20/11/18
 [Signature]

राजस अपील प्राधिकारी
 पंजी